

दिनांक 2011-12 का आदेश 1927

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-925/सम्पेक्षा/महामाया-आ0यो0/2011-12 दिनांक : 17 अक्टूबर-2011

विषय: वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-683/26-ब0प्र0-2011-17बजट/2010, दिनांक 09.09.2011 (छायाप्रति संलग्न)का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 27500.00 लाख (रूपये दो अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निर्वर्तन पर रखी गयी है। शासनादेश के निर्देशानुसार स्वीकृत धनराशि में से 10 प्रतिशत की धनराशि रू0 2750.00 लाख (रू0 सत्ताईस करोड़ पचास लाख मात्र) लाख की धनराशि दैवीय आपदा हेतु रोकते हुए शेष धनराशि रू0 24750.00 लाख (रू0 दो अरब सैंतालिस करोड़ पचास लाख मात्र) में से अवशेष धनराशि रू0 7843.06 (रू0 अठहत्तर करोड़ तैंतालिस लाख छः हजार मात्र) संलग्नक के कालम-3 विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है।

2- आवंटित की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।

3- पात्र लाभार्थियों को योजनान्तर्गत नियमानुसार घनावंटन से पूर्व लाभार्थियों की संकलित सूची मुख्यालय अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4- नवसृजित जनपद छत्रप्रतिशाहू जी महाराजनगर का कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस जनपद को आवश्यक धनराशि इसके पैतृक जनपदों रायबरेली व सुल्तानपुर द्वारा स्थानान्तरित की जायेगी। उक्त सम्बन्धित जनपद अनुपातिक आधार पर नवसृजित जनपद को धनराशि उपलब्ध करायें।

5- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग के लिए एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

6- आवंटित की जा रही इस धनराशि को अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

5- आवंटित की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

7- आवंटन में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन होता है, तो सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-महामाया आवास योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

9- आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10- उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ-187 पर कर ली गयी है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

सुबदीय
17/11/11
(सुजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक: 925/सम्प्रेक्षा/ महामाया-आ०यो०/2011-12 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार आडिट प्रथम व द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद
- 3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र०शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम्य विकास, उ०प्र०शासन।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 7- समस्त जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-2/नियोजन अनुभाग-3/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-2।
- 9- नियोजन विभाग-4, उ०प्र० शासन।
- 10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/4, उ०प्र० शासन।
- 11- संयुक्त सचिव, बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ०प्र०शासन के शासनादेश संख्या-683/26-ब०प्र०-2011-17बजट/2010, दिनांक 09.09.2011 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ०प्र०

प्रेषक,

पत्रांक-925/सम्प्रेक्षा/आईएवाई(एससीपी)/2011-12, दिनांक 17-10-11 संलग्नक।
महामाया आवास योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन (धनराशि लाख रु० में)

क्रमांक	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	MEERUT	0.00	0.00
2	GHAZIABAD	9.60	35.40
3	BULANDSHAHAR	49.33	499.33
4	G.B. NAGAR*	4.05	28.35
5	BAGPAT	0.00	205.20
6	SAHARANPUR	97.43	411.98
7	MUZAFARNAGAR	30.30	145.50
8	MORADABAD	39.34	178.84
9	BIJNOR	59.20	542.50
10	RAMPUR	24.47	264.32
11	J.B.F. NAGAR	9.78	36.78
12	BAREILLY	84.81	341.76
13	BADAUN	124.76	1020.71
14	SHAHJAHANPUR	233.06	2049.71
15	PILIBHIT	89.28	358.83
16	AGRA	23.35	104.35
17	MAINPURI*	17.51	189.86
18	MATHURA	56.59	260.89
19	FIROZABAD	19.80	152.55
20	ALIGARH	46.09	198.64
21	ETAH	25.22	157.97
22	KANSHIRAM NAGAR	2.47	84.37
23	HATHRAS	25.87	89.32
24	JHANSI	87.14	711.34
25	JALAUN	89.55	257.85
26	LALITPUR	87.52	545.85
27	BANDA	108.79	481.27
28	HAMIRPUR	48.50	134.83
29	MAHOBA	58.60	234.17
30	CHITRAKUT	144.63	710.14
31	ALLAHABAD	731.70	2236.05
32	FATEHPUR	320.22	1297.17
33	PRATAPGARH	221.41	930.61
34	KAUSHAMBHI	60.48	2360.88
35	KANPUR NAGAR	41.56	324.16
36	KANPUR DEHAT	160.67	805.07
37	ETAWAH	46.92	425.82
38	FARRUKHABAD	108.00	265.50
39	KANNAUJ	86.18	346.28
40	ORRAIYA	31.37	152.42
41	VARANASI	75.77	303.92
42	GHAZIPUR	136.13	713.48



क्रमांक	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
43	JAUNPUR	338.60	1371.80
44	CHANDALI	0.00	702.00
45	MIRZAPUR	98.19	699.39
46	SONBHADRA	0.00	1148.85
47	S. R. NAGAR	47.60	1288.25
48	LUCKNOW	139.85	1559.15
49	SITAPUR	270.46	2120.86
50	UNNAO	189.66	1324.86
51	HARDOI	334.21	2778.61
52	KHERI	232.77	2948.52
53	RAE BARELI	136.26	1146.06
54	GORAKHPUR	108.11	757.91
55	DEORIA	19.72	400.42
56	KUSHINAGAR	46.51	408.76
57	MAHRAJGANJ	160.62	652.92
58	BASTI	91.53	367.83
59	SIDHARTHANAGAR	107.14	912.64
60	S.K.NAGAR	79.82	320.57
61	AZAMGARH	189.88	767.68
62	MAU	125.07	597.57
63	BALLIA	346.12	1402.72
64	FAIZABAD	98.36	418.76
65	BARABANKI	345.04	1398.04
66	SULTANPUR	365.05	1569.67
67	AMBEDKARNAGAR	83.08	1029.43
68	GONDA	156.83	641.03
69	BAHRAICH	0.20	195.50
70	BALRAMPUR	14.93	265.58
71	SHRAWASTI	0.00	425.70
72	CSM Nagar	0.00	0.00
	STATE TOTAL	7843.06	50215.05

(रु० अठहत्तर करोड़ तेतालिस लाख छः हजार मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)

अपर आयुक्त (लिखा)

ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

२

प्रेषक,

बी0बी0 सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक: 09 सितम्बर, 2011

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-714/सम्प्रेक्षा/ 2011-12 दिनांक 17 जून, 2011 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-307/26-ब0प्र0-2011-17 बजट/2010, दिनांक 11 अप्रैल, 2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि रु0 27500.00 लाख (रु0 दो अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- स्वीकृत की जा रही धनराशि में से 10 प्रतिशत की धनराशि आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर पर आरक्षित रखी जायेगी जिसमें से यथावश्यक जनपदों की मांग के अनुसार आवश्यक धनराशि बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण की सहमति से आवंटित की जायेगी ।
- 2- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।
- 3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग के लिए एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा । वित्तीय वर्ष के अंत में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।
- 5- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये ।
- 6- धनराशि का उपयोग महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर किया जायेगा तथा धनराशि का आवंटन महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा ।
- 7- शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तों का विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें ।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-“4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-महामाया आवास योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामें डाला जायेगा।

(6)

-2-

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत जनपदवार फॉट तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें ताकि धनराशि का आहरण करते हुये इस योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सके।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1525/दस-2011 दिनांक 30 अगस्त, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी०बी० सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या- 683(1)/26-ब०प्र०-2011-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, अन्वेषक ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र० द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
- 5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-3/नियोजन अनु०-3/रा०यो० आयोग-2
- 8- एन०आई०सी० की प्रति/वित्त (आय-व्यय) अनु०-1
- 9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)

अनु सचिव।